भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1399
जिसका उत्तर गुरुवार, 09 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

दोषी अधिवक्ताओं पर विनियम

1399 श्री ए. विजयकुमार :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वकीलों/अधिवक्ताओं ने उत्तर प्रदेश में फर्जी बीमा दावा शपथ पत्र जारी किए थे और इनके परिणामस्वरूप उनकी वकालत पर रोक लगा दी गई थी ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है :

(ग) क्या सरकार बार काउंसिल (राज्य विधियों का विधिमान्यकरण) अधिनियम में संशोधन लाकर दोषी अधिवक्ताओं के विरुद्ध कदम उठाएगी :

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ङ) : अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अनुसार, किसी अधिवक्ता के विरूद्ध वृत्तिक या अन्य कदाचार के लिए अनुशासनिक कार्रवाई करने की शक्ति, भारतीय विधिज्ञ परिषद (बीसीआई)/राज्य विधिज्ञ परिषद के कार्यक्षेत्र में आती हैं । बीसीआई ने सूचित किया है कि मामला सफीक अहमद बनाम आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जर्नल इंश्योरेंस कं. लि. और अन्य] शीर्ष वाली एसएलपी सं. 1110/2017 में माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है ।

इसके अतिरिक्त भारतीय विधिज्ञ परिषद् की साधारण परिषद् ने अपनी तारीख 19.11.2021 की बैठक में मद सं. 546/2021 द्वारा उपरोक्त निर्दिष्ट मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित तारीख 16.11.2021 के आदेश पर विचार किया था और अधिवक्ताओं के मोटर यान दुर्घटना दावा अधिकरण और कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अधीन झूठी दावा याचिकाओं में अंतवर्लित होने से संबंधित मुद्दे पर गंभीर टिप्पणी की थी ।

बीसीआई ने दो सूचियों पर भी विचार-विमर्श किया था जो भारतीय विधिज्ञ परिषद् को एसआईटी द्वारा प्रदान की गई थी, अर्थात् (1) उन अधिवक्ताओं के ब्यौरे जिनके विरुद्ध

एफआईआर रजिस्टर की गई थी; और (2) उन अधिवक्ताओं के ब्यौरे जिनके विरुद्ध अनुसंधान के पश्चात् संबद्ध न्यायालयों में आरोप-पत्र फाइल किया गया है ।

भारतीय विधिज्ञ परिषद् की साधारण परिषद् में विचार-विमर्श करने के पश्चात् झूठे दावे-मामले फाइल करने के कदाचार में लिप्त उत्तर प्रदेश के 28 अधिवक्ताओं को जिनका नाम एफआईआर/आरोप-पत्र में सूचीबद्ध है, उनके विरुद्ध कार्यवाहियों के समाप्त होने तक निलंबित कर दिया था ।

भारतीय विधिज्ञ परिषद् ने उत्तर प्रदेश राज्य विधिज्ञ परिषद् को इन अधिवक्ताओं के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ करने और तीन मास की अवधि के भीतर जांच को पूरा करने तथा उसकी रिपोर्ट भारतीय विधिज्ञि परिषद को प्रस्तुत करने का निदेश भी दिया है ।

****